तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म के तामील में जारी हुए
16.10.2025	पत्रावली पेश हुई वकील पक्षकारान हाजिर प्रार्थी वकील की ओर से प्रार्थना पत्र बाबत पत्रावली की सुनवाई नहीं की जाकर अपीलान्ट कोर्ट को पत्रावली भिजवाने बाबत पेश कर निवेदन किया की अपीलान्ट कोर्ट आरएए टोंक द्वारा उनवानी पत्रावली गुलाब देवी बनाम चन्दा लाल चाही गई है। अप्रार्थी वकील द्वारा मौखिक निवेदन किया की अपीलान्ट कोर्ट में विचाराधीन अपील उनवान चन्दालाल बनाम गुलाब देवी को अपीलान्ट द्वारा नोट प्रेस में खारिज किया जा चुका है। अतः उक्त पत्रावली भेजने का कोई औचित्य नहीं है पत्रावली वास्ते बहस प्रार्थना पत्र अपीलान्ट कोर्ट में पत्रावली भेजने बाबत व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 17.10.2025 को पेश हो।	
17.10.2025	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान हाजिर। वकील अप्रार्थी द्वारा अपीलान्ट कोर्ट में जेरकार पत्रावली की नोटप्रेस में खारिज की गई पत्रावली की छायाप्रति पूर्व में पेश की गई जो शामिल पत्रावली है। प्रार्थना पत्र बाबत पत्रावली की सुनवाई नहीं की जाकर अपीलान्ट कोर्ट को पत्रावली भिजवाने बाबत व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पर बहस उभयपक्षकारान विद्वान अधिवक्तागण सुनी गई। उभयपक्षकारान द्वारा कि गई बहस का विधि के आलोक में सम्पूण मनोयोग से गहन चिन्तन मनन किया गया। पत्रावली व सलग्न दस्तावजो का अवलोकन किया गया है। अपीलान्ट द्वारा अपीलान्ट कोर्ट में जेरकार पत्रावली को नोट प्रेस में खारिज किया जा चुका है। अतः पत्रावली भिजवाने का कोई औचित्य नहीं है लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पत्रावली को अपीलान्ट कोर्ट आरएए टोंक को भिजवाने बाबत खारिज किया जाता है। व प्रार्थी का अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायालय उचित नहीं समझता है। लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल होकर नम्बर से कम की जाकर शामिल मूलवाद हो। सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक) नि...	